मधु बनाम विद्या देवी प्रकरण सं. 142/2019

09-01-2025 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित नहीं। वकील वादी व वादी स्वयं को बार-बार आवाज लगाने पर भी हाजिर नहीं। वाद वादी अड़ग पेड़ की अड़ग हाजरी में खारीज किया जाता है। पत्रावली नस्ख से काम की जाकर बाद तरमीम तामील जाब्ता हासिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रायतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.01.21 18:37:17 IST
Reason: SelfAttested